


१०/१०
२२

पशावली पेश हुई। सरकार कि कौरे से
जोकारे जमुण/ म्प्राधी कि तारिख हेतु काज
दिनांक तक नोटिस तलबाना पेश नही किया
गया है। इनके अभाव में प्रकण का निस्तारण
करने में अनावश्यक खिषण हो रहा है।
जबकि नियमाङ्क नोटिस तलबाना वाद
दिवस में पेश कले चाहिए थे। जिले
घट टपट है कि जमीं डार कार्ड १२
५ सी. पी. सी. में दिये गये निर्देशों कि
पालना नही कि गई है। जो कवटे लना
की श्रैणी में काग हो

क. इस आधार पर तहसील

श्रीमधोपुर (जमीं) डार उल्टुट प्रयन पर
नियम 14(4) का मू. रा. अधिनियम के
कार्ड १२ ५ सी. पी. सी. के तहत प्रयन
रकारीय किया जाता है पशावली फेकेल
शुमार होकर नम्बर ले कभ होकर दाखिल
दफ्तर लें।


(अनिल कुमार)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट
नीमकाथाना (सीकर)

